तम्बाक् बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984

सं.एफ/8/8/80-ई.पी (कृषि-VI)- तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 7 के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, जिनका उक्त अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, अर्थात्:-

अध्याय -।

प्रारंभिक

1		संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-		
	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 है।		
	(2)	ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।		
2	परिभा	षाएँ :		
	इन नि	इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :		
	(क)	" अधिनियम " से तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) अभिप्रेत है।		
	(ख)	"सहयुक्त सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (8) के अधीन बोर्ड के		
		साथ सहयुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;		
	(ग)	"बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित तम्बाकू बोर्ड अभिप्रेत है;		
	(ঘ)	"समिति" से अधिनियम की धारा 7के अधीन बोर्ड द्वारा गठित कोई समिति		
		अभिप्रेत है;		

[•] भारत के राजपत्र में दि.31/12/1984 को एफ/8/8/80-ई.पी (कृषि-VI), में प्रकाशित किया गया ।

	(ਭ.)	"सहयोजित सदस्य" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी समिति के लिए
		बोर्ड द्वारा सहयोजित कोई सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य नहीं है, अभिप्रेत है;
	(च)	"सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
	(छ)	"नियमों" से तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 अभिप्रेत है;
	(ज)	"उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;
	(झ)	"वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली वर्ष अभिप्रेत है;
	(া)	"अध्यक्ष", "कार्यपालक निदेशक", "सचिव " और "सदस्य " पदों के वही अर्थ
		होंगे जो अधिनियम में हैं।

अध्याय -।।

समितियाँ

3	समि	तियों व	ति नियुक्ति :	
	बोर्ड	निम्नि	लेखित समितियों का गठन कर सकेगा, अर्थात्ः	
	(1)	कार्यप	गलक समिति :	
		कार्यप	गलक समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा:	
		(i) अध्यक्ष, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;		
		(ii)	उपाध्यक्षः	
		(iii)	पंच सदस्य जिनका निर्वाचन बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाएगा;	
		(iv)	कार्यपालक निदेशक (पदेन).	
	(2) उत्पादन और उत्पादन नियंत्रण के लिए समिति :		दन और उत्पादन नियंत्रण के लिए समिति :	
		उत्पा	दन और उत्पादन नियंत्रण के लिए समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर	
		होगा:	-	
		(i)	अध्यक्ष, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;	
		(ii)	उपाध्यक्षः	

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		(iii) पंच सदस्य जिनका निर्वाचन बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाएगा;		
		(iv) कार्यपालक निदेशक (पदेन).		
	(3)	विपणन समिति :-		
		विपणन समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा:		
		(i) अध्यक्ष, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;		
		(ii) उपाध्यक्ष;		
		(iii) पंच सदस्य जिनका निर्वाचन बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाएगा;		
		(iv) कार्यपालक निदेशक (पदेन).		
4	समि	तेयों के कृत्य :-		
	(1)	कार्यपालक समिति:-ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा अधिरोपित		
		किए जाएं, कार्यपालक समिति ऐसे कृत्यों के अतिरिक्त जो इन विनियमों के		
		अधीन उसे विनिर्दिष्ट रूप से समनदेशित किए जाएं, ऐसी वित्तीय, स्थापन, लेखों		
		और अन्य कृत्यों से सम्बन्धित कृत्यों का, जो विपणन समिति या उत्पादन और		
		उत्पादन नियन्त्रण पर समिति को विनिर्दिष्ट रूप से समनुदेशित नहीं किए गए हैं,		
		निर्वहन करेगी।		
	(2)	उत्पादन और उत्पादन नियंत्रण के लिए समिति :- ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते		
		हूए जो बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए जाएं, उत्पादन और उत्पादन नियंत्रण समिति		
		तम्बाकू के उत्पादन के विनियम और तम्बाकू की उपज संसाधन और श्रेणीकरण		
		पर उत्पादकों की परामर्श और विस्तार सहायता, से सम्बन्धित मामलों को बाबत		
		सभी कृत्यों का निर्वहन करेगी।		

	(3)	विपणन समिति:- ऐसे निर्वंधनों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा अधिरोपित किए
		जाएं, विपणन समिति ऐसे मामलों को बाबत जो आंतरिक और बाहय विपणन और
		प्रचार, न्यूनतम निर्यात मूल्य निलामियों की सिफारिशों, विपणन आदि के
		विनियमन से सम्बद्ध क्रियाकलापों का संवर्द्धन करने के लिए किया जाए, बोर्ड के
		सभी कृत्यों का निर्वहन करेगी।
5	समि	तेयों के अधिवेशनों का संचालन करने की प्रक्रिया के नियम:-
	(1)	समिति में निर्वाचित सदस्य एक वर्ष को अवधि के लिए या ऐसे समय तक
		जब तक समितियों का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, कार्य करेंगे।
	(2)	समिति का अध्यक्ष, किसी भी समय समिति का अधिवेशन बुला सकेगा और
		यदि समिति के अधिवेशन के लिए कोई अध्यअध्यपेक्षा उस समिति के
		सदस्यों के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों द्वारा लिखित रूप
		में उसे प्रस्तुत कर दी जाती है, तो वह तब भी ऐसा करेगा।
	(3)	आशयित अधिवेशन का समय और स्थान उप-दर्शित करने वाली सचिव
		द्वारा हस्ताक्षरित सूचना समिति के ऐसे किसी अधिवेशन का तारीरख केकम
		से कम दस दिन पूर्व समिति के सदस्यों कोभेजी जाएगी।
		परन्तु अन्यवश्यकता की दशा में अध्यक्ष द्वारा समिति का विशेष
		अधिवेशन किसी भी समय बुलाया जा सकेगा, जो भारत सरकार के
		सम्बन्धित मंत्रालय की और समिति के सदस्यों को विचार-विमर्श को विषय
		वस्तु और उसके कारणों को बाबत अग्रिम सूचना देगा। ऐसे विशेष अधिवेशन
		में कोई भी साधारण कामकाज नहीं किया जाएगा।
	(4)	अध्यक्ष किसी भी समिति में किसी विशेषज्ञ या किसी ऐसे व्यक्ति को
		जिसकी सहायता या परामर्श वांछनीय समझा जाता है, समिति के कृत्यों के
		निर्वहन में सहयोजित या सहयुक्त कर सकेगा।
6	गणपू	र्तिः
	(1)	समिति के अधिवेशन में किसी भी कारबार का संचालन तब तक नहीं किया
		जाएगा जब तक कि समिति का गठन करने वाले बहुसंख्यक सदस्य
		उपस्थित न हों।

	(2)	यदि किसी अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या उप विनियम (1) में
	(-)	निर्दिष्ट अपेक्षित गणपूर्ति से कम है, तो सभापतित्व करने वाला व्यक्ति ऐसे
		अधिवेशन को समिति के सदस्यों को सूचित करेन के पश्चात् (जिसके
		अन्तर्गत वे सदस्य भी है, जो अनुनुपस्थित है) स्थगित अधिवेशन की
		तारीख, समय और स्थान की सूचना देने के पश्चात् अधिवेशन की ऐसी
		तारीख तक, जो अधिवेशन की तारीख से अधिक से अधिक सात दिन के
		बाद की न होगी, स्थगित कर सकेगा और तदुपरि ऐसे स्थगित अधिवेशन
		का सभापतित्व करने वाले सदस्य के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह
		उपस्थित सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखे बिना प्रारम्भिक अधिवेशन की
		बाबत किए जाने वाले कामकाज का निपटान करे ।
7		स्मिक रिक्तियों का भरा जाना :-
	(1)	*समिति में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा अपनी तुरंत बाद की
		अगली बैठक में भरा जाएगा।
	(2)	किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति पद तब तक
		धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसका स्थान उसने भरा है, पद
		धारण करने के लिए उस दशा में हकदार होता जब रिक्ति न हुई होती।
8	समि	ते के अधिवेशनों में सभापतित्व करना :-
		समिति का अध्यक्ष समिति के ऐसे प्रत्येक अधिवेशन का जिसमें वह
		उपस्थित है, सभापतित्व करेगा और यदि व अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष
		सभापतित्व करेगा, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो
		अधिवेशन में उपस्थित सदस्य उस अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए
		एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।
9	कार्य	सूची का तैयार किया जाना :-
		समिति का अध्यक्ष समिति के अधिवेशन से कम से कम पांच दिन पूर्व
		अधिवेशन में संचाालित किये जाने वाले कामकाज की एक सूची तैयार
		करेगा और उसे सदस्यों में परिचालित करेगा । कोई भी सदस्य कार्य सूची
		में सम्मिलित किये जाने के लिए किसी भी मद का सुझाव दे सकता है, यदि
		ऐसे समावेश का अनुरोध अधिवेशन के कम से कम सात दिन पहले लिखित
		रूप में अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया जाता है।

[•] तम्बाक् बोर्ड (साधारण) संशोधन विनियम, 2000 भारत के राजपत्र, भाग-।।।, खण्ड-4, दि.08/08/2000 में प्रकाशितानुसर प्रतिस्थापित किया गया ।

10	परिचालन ट	्वारा संचालित किया जाने वाला कामकाज :-
	(1)	ऐसा कोई कामकाज, जो समिति द्वारा संचालित किया जाना है, यदि
		अध्यक्ष ऐसा निर्रेशित करता है, तो कागज पत्रों के परिचालन द्वारा समिति
		के सदस्यों को (ऐसी सदस्यों से भिन्न जो भारत में नहीं है) निर्देशित किया
		जा सकेगा।
	(2)	उपविनियम (1) के अधीन परिचालित और समिति के ऐसे सदस्यों के
		बहुमत द्वारा जिन्होंने अपने मत अभिलिखित किए हैं, अनुमोदित कोई
		प्रस्ताव या संकल्प उतना ही प्रभावशील और आबद्धकर होगा मानो ऐसा
		प्रस्ताव या संकल्प समिति के अधिवेशन में सदस्यों के बहुमत द्वारा
		विनिश्चित किया गया हो।
		परन्तु जब कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्देशित
		किया जाता है और सदस्यों का बहुमत यह अपेक्षा करता है कि ऐसे प्रस्ताव
		या संकल्प को समिति के अधिवेशन में सदस्यों का निर्देशित कर दिया जाए,
		तो ऐसा निर्देश समिति के अधिवेशन में सदस्यों को कर दिया जाएगा।
	(3)	जहां कोई कामकाज उप विनियम (1) के अधीन सदस्यों को निर्देशित किया
		जाता है, वहां कम से कम सात दिन की अवधि सदस्यों से उत्तर प्राप्त
		करने के लिए अनुज्ञात होगा और ऐसा अवधि का गणना ऐसा तारीख से की
		जाएगी जिसको ऐसा कामकाज परिचालित किया जाता है।
	(4)	यदि इस विनियम के अधीन कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता
		है तो परिचालन का परिणाम समिति के सभी सदस्यों को संसूचित किया
		जाएगा ।
	(5)	कागज पत्रों के परिचालन द्वारा किए गए सभी विनिश्चय अभिलेख के लिए
		समिति के अगले अधिवेशन में रखे जाएंगे।
	(6)	किसी प्रस्ताव या संकल्प की प्रतियों और कागज पत्रों के परिचालन का
		परिणाम समिति के सदस्यों को यथास्थिति, इसके परिचालन या संसूचना के
		समय केन्द्रीय सरकार को भी भेजा जाएगा।
11	मतदान:-	
	(1)	समिति के अधिवेशन के समक्ष लाए गए प्रत्येक प्रश्न पर उपस्थित और
		मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चय किया जएगा और मतों
		के बराबर होने की दशा में एसे अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले अध्यक्ष
		या सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

	(2)		अधिवेशन में सभी मत हाथ उठाकर लिए जाएंगे जब तक कि ऐसे
			अधिवेशन का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति यह विनिश्चय नहीं करता है
			कि मतदान मतपत्र द्वारा किया जाएगा।
12	कामव	गज र्व	ने अवधि :-
	(1)		समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले कामकाज की मदों का अभिलेख
			सचिव द्वारा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियां केन्द्रीय सरकार
			और सदस्यों को भेजी जायेंगी।
	(2)		समिति के प्रत्येक अधिवेशन में संचालित किए जाने वाले कामकाज के
			अभिलेख पर ऐसे अधिवेशन में सभापतित्व करने वाले अध्यक्ष या सदस्य
			द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
	(3)		जब कोई कामकाज कागज पत्रों के परिचालन द्वारा संचालित किया जाता है
			तो इस प्रकार संचालित कामकाज के अभिलेख पर समिति द्वारा हस्ताक्षर
			किए जाएंगे।

अध्याय -।।। बोर्ड और उसके स्थापन

13	तम्बा	क् बोर्ड	ं के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें :-
	(1)		बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियो की बाबत वेतन और
			भत, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासनिक
			कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा को अन्य शर्तें जिसकेअंतर्गत
			अधिवर्षिता की आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय
			करने का अग्रिम, मकान का संन्निर्माण और अन्य बातें है, यदि इस
			विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और
			विनियमों के अनुसार विनियमित ोगा जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य
			कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और
			कर्मचारियों को लागू होते हैं।
	(2)		किसी अधिकारी या कर्मचारी का बाबत अधिवर्षिता का आयु से परे सेवा की
			अविध बोर्ड द्वारा नहीं बढाई जाएगी और ऐसे मामलों में जहां ऐसी सेवा
			बढाई जाने की न्यायोचित ठहराने वाली आपवादित परिस्थितियां विद्यमान
			हैं वहां ऐसा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा ।

14	वेतन और भत्ते :-
	अधिनियम की धारा 4 और 6 अधीन सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और अन्य
	अधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और अन्य अभिदाय, यदि कोई हो, के
	मद्धे सभी व्ययों की पूर्ति बोर्ड की निधि से की जाएगी ।
*15	पदों का सृजन
	बोर्ड, निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट
	बजट उपबंध सम्मिलित करके या समुचित शीर्ष के अधीन बजटद्वारा या
	विधिमान्य पुनर्विनियोग द्वारा सरकार को सूचना देते हुए ऐसे पदों का सृजन कर
	सकेगा जो बजट के समय जंच के अधीन होंगे तथा सरकार द्वारा समय समय
	पर पदों के सृजन के लिए जारी किए गए प्रतिबंधन आदेश के अनुपालन के भी
	अधीन होंगे, यदि उसकी राय में ऐसे पदों का सृजन करना इसके कृत्यों के
	दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझा जाता है।
	परन्तु ऐसे किसी पद का सृजन, जिसका अधिकतम वेतनमान गैर-तकनीकी के
	मामले में 13,500/- रू. प्रतिमाह तथा तकनीकी मामले में 13,125/-रू. प्रतिमाह
	हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।
	परन्तु यह और कि अत्यावश्यकता की दशा में ऐसे अस्थाई पद जिनका बोर्ड के
	हित में सृजन करना आवश्यक होगा और जिनका अधिकतम वेतनमान गैर-
	तकनीकी के मामले में 13,500/- रू. प्रतिमाहतथा तकनीकी मामले में 13,125/-
	रू. प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन के अधीन रहते हुए
	अध्यक्ष द्वारा मृजित किए जा सकेंगे।
16	नियुक्ति और स्थानान्तरण:-
	बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानान्तरण अध्यक्ष द्वारा किए
	जाऐंगे जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, अपनी शक्ति बोर्ड
	के अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

[•] तम्बाक् बोर्ड (सामान्य) संशोधन विनियम, 2000, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-।।।, खण्ड-4, दि.08/08/2000 में प्रकाशितानुसर प्रतिस्थापित किया गया ।

अध्याय -IV

1	7 बोर्ड के	सहयोजित सदस्यों और सहयंक्त सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्ते:-
	(1)	किसी सरकारी सेवक से भिन्न बोर्ड का कोई सहयोजित सदस्य या किसी
		समिति का सहयुक्त सदस्य, बोर्ड के या उसकी सम्यक् रूप से गठित किसी
		समिति के अधिवषण में उपस्थिति हाने के प्रयोजन के लिए या बोर्ड द्वारा
		या संबंधित समिति द्वारा उसको सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने
		के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा की गई किसी यात्रा की बाबत केन्द्रीय
		सरकार द्वारा बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन तत्समय प्रवृत्त
		पहली श्रेणी के सरकारी सेवकों को लागू उच्चतर दरों पर यात्रा भत्ता और
		दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
	(2)	बोर्ड के किसी सहयोजित सदस्य या किसी समिति के सहयुक्त सदस्य की
		हैसियत में यथास्थिति बोर्ड के या समिति के अधिवेषण में उपस्थित होने के
		प्रयोजन के लिए या बोर्ड या यथास्थिति उसकी किसी समिति द्वारा उसे
		सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय या
		राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा की गइ किसी यात्रा की दशा में
		उसको अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्ते उस सरकार के नियमों के अधीन
		जिसके अधीन वह तत्समय नियोजित है, उसको देय दरों पर, बोर्ड द्वारा
		संदेय होंगे।
	(3)	किसी भी सहयोजित सया सहयुक्त सदस्य को कोई भी यात्रा भत्ता या
		दैनिक भत्ता तब तक अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि वह यह प्रमाणित
		नहीं कर देता है कि उसने ऐसी किसी यात्रा और विराम की बाबत जिसके
		लिए दावा किया गया है, किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा और अन्य भत्ता
		प्राप्त नहीं किया है।
	(4)	यात्रा भत्ता सहयुक्त या सहयोजित सदस्य के निवास के प्रायिक स्थान से
		अधिवेषण के स्थान या उस स्थान तक जहां वह बोर्ड या उसकी किसी
		समिति को कामकाज करने के लिए गया है और उससे अपने निवास स्थान
		की वापसी तक संदेय होगा:

			परन्तु जब यात्रा उसके निवास क प्रायिक स्थान से भिन्न किसी स्थान
			से प्रारंभ होती है या उसकी वापसी यात्रा उसके निवास के प्रायिक स्थान से
			भिन्न किसी स्थान पर समाप्त होती है तो यात्रा भत्ता उस रकम तक जो
			तब संदेय होती जब यात्रा उसके निवास के प्रायिक स्थान से प्रारम्भ होती
			या उसी पर समाप्त होती या उस रकम तक जो की गई वास्तविक यात्रा
			की बाबत संदेय होता है, इन दोनों में से जो भी कम हो, तक सीमित
			रहेगा।
			परन्तु यह और कि विशेष परिस्थितियों में और केन्द्रीय सरकार के
			पूर्वानुमोदन से अध्यक्ष, किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्य के निवास के
			प्रायिकी स्थान से भिन्न किन्हीं स्थानों से यात्रा भत्ता मंजूर कर सकेगा।
	(5)		अध्यक्ष बोर्ड के सहयोजित सदस्य या समिति के सहयुक्त सदस्य के यात्रा
			और दैनिक भत्तों के प्रयोजन के लिए नियंत्रक अधिकारी होगा ।
*18		सहयो	जित सदस्यों और सहयुक्त सदस्यों को सवारी भत्ते :-
		-	
			बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड
			<u> </u>
			बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड
		-	बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी
			बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया
			बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:-
			बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:- परन्तु यदि कोई सहयोजित या सहयुक्त सदस्य ऐसे किसी स्थान पर
			बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:- परन्तु यदि कोई सहयोजित या सहयुक्त सदस्य ऐसे किसी स्थान पर निवास करता है जहां बोर्ड या समिति की कोई बैठक आयोजित की जाती है
			बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:- परन्तु यदि कोई सहयोजित या सहयुक्त सदस्य ऐसे किसी स्थान पर निवास करता है जहां बोर्ड या समिति की कोई बैठक आयोजित की जाती है या जहां बोर्ड या समिति के किसी अन्य काम काज का संलालन किया
			बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड या उसकी समिति के किसी अन्य कामकाज को करने के लिए कोई भी सवारी भत्ता ऐसे किसी सहयोजित या सहयुक्त सदस्यों को नहीं दिया जाएगा जो यात्रा या दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं:- परन्तु यदि कोई सहयोजित या सहयुक्त सदस्य ऐसे किसी स्थान पर निवास करता है जहां बोर्ड या समिति की कोई बैठक आयोजित की जाती है या जहां बोर्ड या समिति के किसी अन्य काम काज का संलालन किया जाता है, तो ऐसे सदस्यों को बोर्ड/समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित

[•] तम्बाक् बोर्ड (सामान्य) संशोधन विनियम, 2000, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-।।।, खण्ड-4, दि.08/08/2000 में प्रकाशितानुसर प्रतिस्थापित किया गया ।

I ii iii iii iv v vii viii ix xii xiiviix

" " " " oxi

u u

: ; ;;;; ::::

VI VII X XII XV IV ii

@@@@ ##### \$\$\$\$ 2%%%%%% &&&&& ******* +++++ ====